



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० (उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

14, अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN:U32201UP1999SGC024928



संख्या-I/5697/2025-कार्य/चौदह-पाकालि/2025-40-के/2021 दिनांक-27-02-2025

कार्यालय-ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10-कार्य/चौदह-पाकालि/2022-40-के/2021 दिनांक 28.01.2022 द्वारा वितरण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण पूंजीगत कार्य एवं अन्य पूंजीगत कार्य पर अधिष्ठान व्यय भारित किए जाने हेतु निम्नलिखित दरें निर्धारित की गयी हैं-

क्रम संख्या	मद का नाम	कार्य पर भारित किए जाने की दर (प्रतिशत में)
1	वितरण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य पर अधिष्ठान व्यय	13.5 प्रतिशत
2	अन्य पूंजीगत कार्य पर अधिष्ठान व्यय	9.5 प्रतिशत

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुमोदित की जाने वाली डिस्कॉम की व्यवसायिक योजना (Business Plan) में पूंजीगत व्यय के प्राक्कलन में 13.50% और 9.50% की उपरोक्त दर से राशि के भारण को शामिल नहीं किया जाना है।

उक्त बिजनेस प्लान से सम्बन्धित पूंजीगत कार्य को करने हेतु जो निविदा Contractor को आवंटित की जाती हैं, के सम्बन्ध में ऐसा पाया गया है कि उक्त के प्राक्कलन में भी अधिष्ठान व्यय को उपरोक्त दरों के अनुसार भारित कर सम्मिलित कर लिया जाता है, जिससे Contractor की निविदा का मूल्य अनावश्यक रूप से बढ़ने की संभावना रहती है। फलस्वरूप विभाग के ऊपर अनावश्यक अतिरिक्त वित्तीय भार रोपित हो जाता है।

अतएव उक्त के सन्दर्भ में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है कि:-

1. बिजनेस प्लान से सम्बन्धित पूंजीगत कार्य की निविदा हेतु तैयार किए गए प्राक्कलन एवं पूंजीगत बजटीय प्रस्ताव में अधिष्ठान व्ययों का भारण नहीं किया जाएगा।
2. यदि किसी पुराने एवं प्रयुक्त उपकरण का उपयोग पूंजीगत कार्य के लिए किया जाता है, तो उक्त कार्य की प्राक्कलन सम्बन्धित पुराने एवं प्रयुक्त उपकरण की लागत को छोड़कर तैयार किया जाएगा तथा पूंजीकरण के उद्देश्य से ह्रासित मूल्य (W.D.V) का उपयोग किया जाएगा।

अध्यक्ष

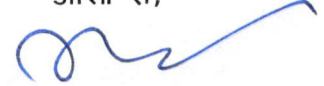
संख्या-I/5697/2025-कार्य/चौदह-पाकालि/2025, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/केस्को-कानपुर।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०/वित्त/वित०/वाणि०/कार०प्ला०/आई०टी०), 30प्र०

- पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का० एवं प्रशा०/वित्त/वाणिज्य/तकनीकी), पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/ मेरठ, केस्को-कानपुर।
 6. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, 30प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 7. महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/लेखा सम्प्रेक्षा), 30प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 8. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, 30प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 9. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वान्चल/ मध्यांचल/ दक्षिणांचल/ पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/ लखनऊ/आगरा/ मेरठ/केस्को-कानपुर।
 10. समस्त संयुक्त सचिव, 30प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 11. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/वित्त), 30प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
 12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, 30प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
 13. कट फाइल।

आज्ञा से,



(फैसल खान)
उप सचिव (कार्य)